

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

2163

// विविध आदेश //

क्रमांक...५५.../
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 19/03/2024

द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मउगंज की न्यायालय से निराकृत सत्र प्रकरण क्रमांक-81/2019 म0प्र0 राज्य वि0 अशोक शर्मा से संबंधित पूरक अभियोगपत्र क्रमांक-21/2018 अंतर्गत धारा-379, 420, 467, 468 एवं 471 भा0दं0सं0 श्री आदेश कुमार जैन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मउगंज के न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मउगंज की न्यायालय में लंबित होने के फलस्वरूप दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-408 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरक अभियोगपत्र क्रमांक-21/2018 अंतर्गत धारा-379, 420, 467, 468 एवं 471 भा0दं0सं0 को श्री आदेश कुमार जैन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मउगंज के न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मउगंज की न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री हीरालाल अलावा द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मउगंज की न्यायालय को अंतरित किया जाता है।

Sd/-
(सुबोध कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0...1591.../
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 19/03/2024

प्रतिलिपि:-

1. प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश मउगंज।
2. द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मउगंज को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण यथाशीघ्र संबंधित न्यायालय से प्राप्त/प्रेषित करना/सुनिश्चित करें।
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ मउगंज की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
5. जे0एस0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Sd/-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)